न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 14/2019

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. मांगीलाल पुत्र छोगाराम 2. सोहनलाल पुत्र झुमरलाल 3. लालाराम पुत्र झुमरलाल 4. रामलाल पुत्र झुमरलाल जाति– प्रजापत, निवासीगण– जैतारण तहसील– जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. चीमनाराम पुत्र छोगाराम 2. नेमीचंद पुत्र भंवरलाल 3. मंगलाराम पुत्र छोगाराम फौत के कायम मुकाम 3/1– खुशालचंद पुत्र मंगलाराम 3/2– नवलकिशोर पुत्र मंगलाराम 3/3– चंचल पुत्री मंगलाराम 3/4– ममता पुत्री मंगलाराम 3/5– इन्द्राद्रेवी बेवा मंगलाराम जाति– प्रजापत निवासीगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.14/01/2019

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया,अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 09/01/2020**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा– जैतारण की सीमा में खसरा नंबर 150 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदी कृषि भूमि की पूर्वी व उत्तरी मांठ पर वक्त सेंटलमेन्ट से मिट्टी की खन्दक लगी हुई थी। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि की पूर्वी व उत्तरी दिशा की मांठ पर जो खन्दक को अप्रार्थी संख्या 01 चीमनाराम ने बलपूर्वक तोड़कर पट्टीया प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अतिकमण कर रोप दी है और पूर्वी व उत्तरी सीमा जो वक्त सेटलमेन्ट की खन्दक था उसको नष्ट कर मौके पर पट्टीयां रोप प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में भी अतिकमण कर लिया है। यह तथ्य प्रार्थीगण को दिनांक 31.12.2018 को पटवारी हल्का जैतारण मौके पर तहसीलदार जी जैतारण के आदेश से सीमांकन हेतु नाप करने पर ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी नं 01 ने जो पट्टीया खड़ी की है वो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पुरानी मांठ को नष्ट कर अतिकमण कर की है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 150 के पूर्वी व उत्तरी सीमा पर पट्टीया रोपकर सीमांकन का विवाद खड़ा कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 01 चीमनाराम जैतारण पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है और अप्रार्थी नंबर 01 आदतन आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है इसलिए अप्रार्थी ने खसरा नंबर 150 के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नंबर 149 का हकतर्कनामा डरा धमकाकर फर्जी व कुटरचित प्रार्थी संख्या 02 से 04 के पिता झुमरलाल व प्रार्थी नं. 01 मांगीलाल से करवा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लिया। जिस हकतर्कनामा को रद्द घोषित का दीवानी वाद एसीजेएम कोर्ट जैतारण में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जो हकतर्कनामा करवाया उसमें झूठा उल्लेख करवाया कि खसरा नंबर 149 की कृषि भूमि मेरे पिता द्वारा बंटवाड़ा में दे दी थी। वास्तव में बंटवाड़ा में अप्रार्थी संख्या 01 को खसरा नंबर 69 रकबा 08 बीघा जो जैतारण मेड़तासिटी सड़क के पश्चिम में दी गई थी। जिस जमीन जो अप्रार्थी नंबर 01 चीमनाराम ने विक्रय कर दी है। इस प्रकार से उक्त दीवानी वाद पक्षकारान के मध्य खसरा नंबर 149 की कृषि भूमि के संबंध में पेण्डिग होने और उक्त दीवानी वाद में राजीनामा करने का दवाब बनाने हेतु तथा अप्रार्थी संख्या 01 चीमनाराम हिस्ट्रीशीटर व आपराधिक प्रवृति व झगड़ालू होने से प्रार्थीगण को अपने रोप जमाने के लिए प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 150 की पूर्वी व उत्तरी माठ को नष्ट कर खसरा संख्या 150 की भूमि में अतिक्रमण कर पट्टीया रोपी है खसरा नंबर 150 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 को कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये खसरा नंबर 150 व खसरा नंबर 149 के बीच की माठ का सीमांकन किया जाकर व पत्थरगढी किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 की पट्टीया हटवाई जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि जो कस्बा जैतारण की सीमा में स्थित है अतः श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है व निर्धारित कोर्ट फीस के पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर वकालतनामा पेश हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 02, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व व उत्तर की मांठ पर उक्त सेटलमेंट से मिट्टी की खन्दक नहीं होकर मौके पर कातले रोपे हुये है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पूर्व व उतर दिशा की माठ पर मिट्टी का पाला/खन्दक है ही नही तो उतरदाता अप्रार्थी ने बलपूर्वक खन्दक तोड़कर पट्टिया प्रार्थीगण की भूमि में अतिक्रमण कर रोपने व पूर्वी व उतरी सीमा में वक्त सेटलमेंट की खन्दक को नष्ट करने के कथन, गलत, झूठे व मनमानें अंकित किये है। प्रथम तो अप्रार्थी संख्या 01 ने सायलान की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। यदि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में गलत व झूठे कथन किये है। इस हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 में विरूद्ध धारा 183 आरटी एक्ट के तहत कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करे तथा इस प्रार्थना पत्र के जरिये न तो कब्जा दिया जाता है व न ही कब्जा लिया जाता हे। अप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा नंबर 150 के पूर्वी व उतरी सीमा पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया है अन्य कथन गलत है। प्रार्थीगंण ने दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार जैतारण को प्रार्थना पत्र देकर उक्त भूमि बाबत नाप-चोप के लिए पटवारी हल्का जैतारण के जो आदेश करवाये जिसमें अप्रार्थी को बिना सूचना बिना नोटिस दिये पटवारी हल्का जैतारण से सांठ गांठ कर जो फर्द मौका रिपोर्ट इस प्रार्थना पत्र में पेश की जो अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध नहीं पढी जा सकती है। पेमाईश होती है व यदि कब्जा पाया जाता है तो प्रार्थीगण को धारा 183 आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर के संबंध में पूर्व में तहसीलदार जैतारण के आदेशानुसार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2009 को पटवारी हल्का जैतारण ने चारों भूजाओं का सीमाज्ञांन किया जो सही है। जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर है जो 2009 में मौके पर जो स्थिति है जो जहां बैठा वही आज भी बैठा है मौके पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध उसकी मानसम्मान प्रतिष्ठा को धुमील करने वाले शब्दों का जो प्रयोग किया है। जो कानूनन आदेश 06 नियम 16 के तहत गलत हे। जिसे प्रार्थना पत्र से हटाया जाना चाहिये। अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई फौजदारी प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लम्बित नहीं हे। तथा प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 149 के हकतर्कनामा बाबत अलग प्रोसोर्डिंग है इस बाबत दीवानी वाद में निर्णय होगा, इस प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों से कोई रिलेवेन्सी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा नंबर 69 की भूमि का कोई विक्रय विलेख नहीं किया है तथा न ही खसरा नंबर 149 की कृषि भूमि के संबंध में दीवानी वाद में राजीनामा बाबत दवाब हेतु प्रार्थीगण की भूमि के पूर्वी व उतरी माठ को नष्ट कर भूमि पर अतिक्रमण कर पट्टिया रोपी हो। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र में बार-बार उसकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान को धुमील करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, जो कानूनन गलत है।

हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी और उसपर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण ग्राम-जैतारण, तहसील-जैतारण की खसरा संख्या 150, रकबा 01-14 बीघा, बारानी दोयम आराजी के अभिलिखित खातेदार है। फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, जैतारण के द्वारा उक्त आराजी का दिनांक 23.06.2009 एवं 31.12.2018 को सीमाज्ञान करवाया गया है, इसके बावजूद खसरा संख्या 150 एवं खसरा संख्या 149 के खातेदारान के मध्य वास्तविक सीमा को लेकर विवाद विद्यमान है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 149 के खातेदार हैं। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्व काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रकिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित आराजी खसरा संख्या 150 रकबा 01-14 बीघा, बारानी दोयम एवं खसरा संख्या 149, रकबा 03-07 बीघा, बारानी दोयम के खातेदारान कमशः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 09/01/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.10 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: